

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक कृषि पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा" बाडमेर

Phone : 02982-221672

Email:- ddagri_barm@rediffmail.com

क्रमांक:- 284-92

दिनांक :-04.06.2018

निविदा सूचना

इस कार्यालय में वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत विभिन्न कृषि योजनाओं सम्बन्धी कार्यक्रमों में निम्न प्रकार सामग्री / सेवाओं की आपूर्ति हेतु सीलबंद निविदायों आमंत्रित की जाती हैं। निम्न सामग्री अथवा सेवा आपूर्ति हेतु इच्छुक व्यक्ति फर्म / उपक्रम निर्धारित तिथि तक रुपये 200/- इस कार्यालय में जमा करा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

क्र.सं.	सामग्री / कार्य का विवरण	अनुमानित राशि रु.	धरोहर राशि रु.	निविदा जमा कराने की तिथि एवं समय	निविदा खोलने की तिथि एवं समय
1	लघु फिल्म निर्माण	4.00 लाख	8000/-	18.06.2018 दोपहर 12:00 बजे तक	19.06.2018 दोपहर 2:00 बजे तक
2	बोलेरो वाहन (एक)	1.80 लाख	3600/-		19.06.2018 दोपहर 4:00 बजे तक

अन्य शर्तें एवं निविदा प्रपत्र <http://sppp.rajasthan.gov.in> या <http://krishi.rajasthan.gov.in> देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।

(किशोरीलाल वर्मा)
उप निदेशक कृषि पदेन
परियोजना निदेशक (आत्मा)
बाडमेर
दिनांक :-04.06.2018

क्रमांक:- 284-92
प्रतिलिपी :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष आत्मा बाडमेर।
2. श्रीमान निदेशक समेती (आत्मा) दुर्गापुरा जयपुर।
3. श्रीमान् संयुक्त निदेशक कृषि, जोधपुर।
4. संपादक.....को निविदा सूचना डी.पी. आर. दरों पर 12x16 साईज में दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित हैं।
5. लेखा शाखा / तकनिकी शाखा नोटीस बोर्ड।
6.

(किशोरीलाल वर्मा)
उप निदेशक कृषि पदेन
परियोजना निदेशक (आत्मा)
बाडमेर

कार्यालय उप निदेशक कृषि पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा" बाडमेर

निविदा प्रपत्र संख्या -

निविदा क्रमांक :- दिनांक

सेवा का नाम :- किराये पर वाहन उपलब्ध कराना ।

निविदा फर्म शुल्क रु. : 200/- रसीद संख्या : दिनांक : द्वारा प्राप्त कर
फर्म : को निविदा पत्र
जारी किया गया ।

(किशोरीलाल वर्मा)
उप निदेशक कृषि पदेन
परियोजना निदेशक (आत्मा)
बाडमेर

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/ठेकेदार/वाहन मालिक का नाम :
2. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :
3. वाहन रजिस्ट्रेशन सं. : TIN NO :
4. पेन नं. :- मोबाईल नम्बर
5. अमानत राशि रु. : 3600/- रसीद संख्या दिनांक : द्वारा जमा कराई गई ।
6. वाहन किराया सेवा के लिये हमारी दरें निम्न प्रकार हैं ।

क्र.सं.	वाहन का विवरण	दर प्रतिमाह (प्रथम 2000 किमी चलन हेतु) अंको व शब्दों में	दर प्रतिमाह (प्रथम 2000 किमी से अतिरिक्त चलन हेतु) अंको व शब्दों में
1	बोलेरो 4x4 (बन्द गाडी) मॉडल 2016 या बाद का		

घोषण पत्र

मैंने / हमने निविदा की समस्त शर्तों को पढकर समझ लिया है। विभागीय नियमों / शर्तों का पालन करना स्वीकार करते हैं।

हस्ताक्षर मय मोहर

निविदा की शर्त :-

1. सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं होगी।
2. निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत की गई दरें 31.03.2019 तक के लिये विधिमान्य हैं। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।
3. वाहन टेक्सी परमिट होना चाहिये। वाहन चालक आरटीयो द्वारा जारी वाणिज्यिक वाहन बैजधारी होना चाहिए।
4. वाहन के रख-रखाव मरमत इत्यादि की पूर्ण जिम्मेदारी वाहन मालिक /स्वीकृत निविदादाता की होगी।
5. वाहन यात्रा के लिये कभी भी ले जाया जा सकता है, इसमें समय कोई पाबन्दी नहीं है एवं वाहन न होने की स्थिति में अन्य वाहन उपलब्ध कराया जायेगा, तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वाहन उपलब्ध करवाया जायेगा।
6. कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर एक मात्र नोटीस देकर हटाया जा सकेगा।
7. निविदा सील बन्द लिफाफे में निविदा प्रपत्र में दी गई सूचना अनुसार तथा किसके सन्दर्भ में दी जा रही है, लिफाफे के उपर पूर्ण विवरण लिखकर प्रस्तुत करें।
8. निविदादाता फर्म निविदा के लिफाफे के उपर निविदा क्रमांक व सामग्री का नाम जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही है, अंकित करें। निविदा प्रपत्र पूर्ण रूपेण भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित प्रस्तुत करें।
9. टेण्डर दिनांक 18.06.2018 को दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त कर दिनांक 19.06.2018 को दोपहर 12:00 बजे तक जमा करवाकर उसी दिन उपस्थित निविदादाता/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में क्व कमेटी द्वारा खोली जायेगी। निर्धारित समय पश्चात प्रस्तुत टेण्डर फर्म पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. टेण्डरदाता टेण्डर फर्म के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर मय मोहर करेगा तथा फार्म के अन्तिम में समस्त शर्तों की स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप में हस्ताक्षर मय मोहर करेगा।
11. दरें अंको एवं शब्दों में कांट-छांट रहित एवं स्पष्ट रूप से लिखित होनी चाहिए।
12. धरोहर राशि बैंकर चेक या डीडी के रूप में प्राप्त की जायेगी, जो उप निदेशक कृषि पदेन परियोजना निदेशक आत्मा बाडमेर बाडमेर के पक्ष में होगी। बिना धरोहर राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. जिस टेण्डरदाता का टेण्डर स्वीकृत किया जायेगा, उसे आदेश के 7 दिवस में 500/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा जिसका समस्त व्यय टेण्डरदाता को वहन करना होगा। सफल निविदाकार को सुरक्षा राशि रु. 5 प्रतिशत बैंकरचैक/डीडी द्वारा जमा करानी होगी। इसका कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
14. टेण्डर शर्तों की पालना न करने पर सुरक्षा निक्षेप राशि जब्त की जा सकेगी।
15. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग II के नियम संख्या 68 के अनुसार खुली निविदा के लिये निविदा एवं निविदा शर्तों का पूर्ण रूपेण पालन किया जाना आवश्यक होगा। लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2012 का होगा।
16. टेण्डर को स्वीकार करना अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्व कमेटी को होगा। वे न्यूनतम दर वाले टेण्डर को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होंगे।
17. अन्य शर्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड प्रथम के भाग - द्वितीय के प्रारूप एस.आर. 16 के अनुसार रहेगी।
18. आवश्यकता के समय मांग किये जाने पर 30 मिनट में वाहन उपलब्ध कराना होगा। मांग के अनुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर नियमानुसार कटौती की जावेगी।
19. आय पर आयकर की कटौती नियमानुसार की जावेगी।
20. वाहन की लॉग शीट तीन प्रति में वाहन चालक के पास रहेगी। जिसमें प्रतिदिन प्रभारी अधिकारी से यात्रा प्रविष्टी प्रमाणित करवानी होगी।
21. फर्म को भुगतान बजट की उपलब्धता पर निर्भर होगा, यदि कभी बजट आवंटन देरी से प्राप्त होता है तो भुगतान में विलम्ब हो सकता है।

(किशोरीलाल वर्मा)

उप निदेशक कृषि पदेन
परियोजना निदेशक (आत्मा)
बाडमेर

हस्ताक्षर मय मोहर